Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई
	Government:-	अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, सहायक आयुक्त,
	(Adverse comments made by any	आदिवासी विकास कोरबा, जिला कोरबा को कोरबा जिले
	officer or authority in Part-B or	के कटघोरा वन मंडल के ग्राम स्याहीमुड़ी में संरक्षित वन
	Part-C or Part -D above should be	कक्ष कमांक पी 533 की कुल 4.34 हे. वन भूमि में दिव्यांग
	specifically commented upon)	एवं बालिका विद्यालय के निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु
		वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर
		राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

5 -07-2018 Date:

Raipur Place:

Name

Designation - Under Secretary

- C.G. Weottelaya, Naya Raibur

Forest Department